

## छात्र-छात्राओं के लिए "अति आवश्यक निर्देश"

1. मासिक शुल्क नियत समय पर जमा नहीं करने पर विलम्ब शुल्क अनिवार्य रूप से देय होगा।
2. साप्ताहिक जाँच परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर 10/-रुपये प्रति जाँच परीक्षा अनिवार्य रूप से लिया जाएगा।
3. दो पहिया वाहन से आने वाले छात्रों को वाहन की देख-रेख के लिए 15/-रुपये प्रतिमाह या 90/-रुपये एक मुस्त देय होगा।
4. पहचान पत्र या प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड गुम होने पर 20/-रुपये का रसीद कटाने के पश्चात पुनः निर्गत किया जा सकेगा।
5. साप्ताहिक जाँच परीक्षा में कॉपी पर सही बैच नं० या रोल नं० अंकित नहीं रहने पर कॉपी रद्द की जा सकती है।
6. नामांकन के बाद किसी भी स्थिति में शुल्क वापस करने का प्रावधान नहीं है।
7. नामांकन-रहित छात्रों को कार्यालय से अनुमति लिए बिना वर्ग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. Institute के लिखित या घोषित नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
9. वर्ग चलने की अवधि में छात्र-छात्राओं को परिसर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
10. छात्रों से आशा की जाती है कि वे किसी प्रकार के लेन-देन या मिलने-जुलने के लिए परिसर के आस-पास किसी बाहरी मित्रों को नहीं बुलायेंगे।
11. छात्रों के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर होने वाली क्षति छात्रों के खाते में होंगे तथा मासिक शुल्क का लगातार भुगतान करना होगा।
12. Institute अपनी सुविधानुसार, वर्ग की व्यवस्था तथा वर्ग में छात्र-छात्राओं के बैठने की व्यवस्था करेगी।
13. दूसरा कोई भी छूट में Merit Concession में समायोजित कर दिया जाएगा।
14. बिना पूर्व सूचना के लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर या तीन साप्ताहिक जाँच परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहने या विद्यार्थियों में किसी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं दिखने की स्थिति में नामांकन रद्द किया जा सकता है।
15. वर्ग में मोबाइल सेट या ऑडियो / विडियो सेट (किसी भी प्रकार का) लेकर आने की अनुमति नहीं रहेगी। ऐसा होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी या कोचिंग से निकाल दिये जायेंगे।
16. विलम्ब से आने पर कार्यालय में लॉग बुक भरने के पश्चात् वर्ग करने की अनुमति दी जाएगी।
17. नियम तोड़ने या अनुशासनहीनता की स्थिति में Institute छात्रों को दण्डित कर सकती है। दण्ड में पिटाई भी शामिल है। यदि कोई आपत्ति हो तो नामांकन नहीं कराने का आग्रह है।
18. आपत्तिजनक चित्रों वाली कॉपी उपयोग में लाने की अनुमति नहीं रहेगी।
19. इस "अतिआवश्यक निर्देश" के अतिरिक्त विवरण पत्रिका के सभी नियमों को भी छात्र-छात्राओं को पढ़ लेना चाहिए।
20. Institute अपने नियमावली में संशोधन, नियम को हटाने या नियम को जोड़ने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है।